बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA FIVE RUPEES

अपील (3243) II / 15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ल —दो / 15

श्री रजनी कान्त शर्मा एड० आज दि. 5/10/15 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Revision

1—हरचरन तनय बन्दू लाल असाटी

2—लक्ष्मीप्रसाद तनय बन्दूलाल असाटी

निवासीगण भगवां

3—लक्ष्मीबाई पुत्री बन्दूलाल असाटी पत्नी प्रभू निवासी मैनवार तहसील महरोनी

4— हल्की बिन्नू पुत्री बन्दू लाल असाटी पत्नी सुरेश निवासी बड़ामलहरा तहसील बड़ामलहरा जिला—छतरपुर म0प्र0

—— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1—प्रेमनारायण तनय हरप्रसाद असाटी

2—श्यामलाल तनय हरप्रसाद असाटी

3—सन्तोष तनय हरप्रसाद असाटी

4—रामप्रकाश तनय हरप्रसाद असाटी

5— ठाकुरदास तनय दयाराम असाटी

6--लखनलाल तनय दयाराम असाटी

7--मुन्नीलाल तनय दयाराम असाटी

8--जगदीश तनय दयाराम असाटी

9--रामसेवक तनय सुखदेन असाटी

10-- भगवानदास तनय सुखदेन असाटी

11--रामस्वरूप तनय सुखदेन असाटी

12--गंगाराम तनय सुखदेन असाटी

13--राकेश तनय सुखदेन असाटी

निवासी भगुवां तहसील धुवारा

जिला छतरपुर म0प्र0

---- प्रतिप्रार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 51/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28.9.2015 से परिवेदित होकर द्वितीय अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

श्रीमान न्यायालय,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3243-दो/2015 जिला छतरपुर हरचरन विरूद्ध प्रेमनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा को दिनांक 07-01-2019 को सुना गया । 3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण (प्रेमनारायण आदि) के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा के समक्ष ग्राम सोरखी की प्रश्नाधीन भूमि पर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण पंजी 7 आदेश दिनांक 21-11-1970 एवं नामांतरण पंजी 1 आदेश दिनांक 19-05-1998 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अपील/2014-15 दर्ज कर दिनांक 28-09-2015 को अधीनस्थ तहसीलदार का आदेश विधि विधान व नियमों के विपरीत मानते हुए नामांतरण पंजी पर किये उक्त आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-09-2015 के विरूद्ध आवेदक (हरचरन) द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील का प्रावधान संभागीय आयुक्त को है न कि राजस्व मंडल को है । अतः प्रस्तुत अपील आवेदन प्रचलन योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है । आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में द्वितीय अपील पेश कर सकता है। (आर.के. जैन) 01/2/19 सदस्य	